

2021/365

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर  
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प- 20/1/21

क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./2021/ 640

दिनांक:- 29/10/21

प्रेषित:- तहसीलदार भोपालगढ़  
जिला जोधपुर

विषय:- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा  
131.136 के तहत )

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम खालिया पटवार हल्का खालिया  
के खाता संख्या 542 जिसके खसरा नं. 1005 रकबा 0.4087 हे०  
किस्म खालिया III की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र,  
पटवारी खालिया भू अभिलेख निरीक्षक खालिया की जांच रिपोर्ट एवं  
तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा  
अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को  
आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शे में इन्द्राज करे।

नोट:- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की  
अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।

हराज सिंह यादव  
(हवाई सिंह यादव)  
प्रभारी अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)  
भोपालगढ़ (जोधपुर)  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

क्रमांक:- सम/ 641  
प्रतिलिपि:-

1. प्रार्थी श्री हराज सिंह यादव को सूचनार्थ।

दिनांक:- 29/10/21

हराज सिंह यादव  
(हवाई सिंह यादव)  
प्रभारी अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021



Received

हराज सिंह यादव  
29/10/21

